

Order No:- 475L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUBOGEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri Dilip Ghosh** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **514** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	RISHANK BISOI	CHIRANJIB BISOI, MOB-9832133342	1	IIT KHARAGPUR
2	RIDEB BERA	DEBGOPAL BERA, MOB-9434678510	1	IIT KHARAGPUR
3	SATYAJIT DAS	PARESH CHANDRA DAS, MOB-9831299207	9	NO. 1 KALAIKUNDA
4	SHORYA PRATAP SHAW	SHAMBHU SHAW, MOB-9547568837	2	NO. 2 KALAIKUNDA
5	TRINABH DAS	CHIRANJIB DAS, MOB-9381112406	3	NO. 2 KHARAGPUR
6	MANAS MAHAPATRA	HARENDRANATH MAHAPATRA, MOB-9932504654	6	NO. 2 KHARAGPUR
7	KASTURI GANGULY	SUBRATA GANGULY, MOB-8617621533	6	IIT KHARAGPUR
8	DIVYANSHI BISWAS	DIBYENDU BISWAS, MOB-9874715999	1	IIT KHARAGPUR
9	ABANTIKA PANIGRAHI	RAKESH PANIGRAHI, MOB-9434158745	2	IIT KHARAGPUR
10	RAJANNYA CHAKLADAR	TRISHA CHAKLADAR, MOB-7001651084	1	NO. 2 KHARAGPUR

कृ. पृ. उ.
पि. ठाकुर

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Dilip Ghosh माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **KOLKATA** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)